बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 1262519 पटना, दिनांक 19-02-2016

ग्रा0वि0- 8 (थ)- 133/2011

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
बिहार ।

विषयः- **पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निरूपित आदर्श चुनाव आचार संहिता में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना एवं इंदिरा आवास योजना पर दिये गये अनुदेश के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निर्गत पंचायत आम निर्वाचन 2016 के लिए निरूपित आदर्श आचार संहिता की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उसके भाग 2 की कंडिका 2.6 एवं 2.8 में वर्णित अनुदेश के आलोक में विभाग द्वारा संचालित योजनाए यथा मनरेगा योजना एवं इंदिरा आवास योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा ।

उपरोक्त अनुदेश राज्य निर्वाचन आयोजन के वेवसाईट http://sec.bihar.gov.in के शीर्षक Instructions & Letters अथवा URL http://sec.bihar.gov.in/letters/180%20dated%2020.01.16_M_code.pdf से डाउनलोड किया जा सकता है ।

अनु0- यथोक्त ।

विश्वासभाजन
19/2/2016
(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

(१५२)

पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता

सत्यमेव जयते

उम्मीदवारों के लिए
सरकारी विभागों एवं कर्मियों के लिए
पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए

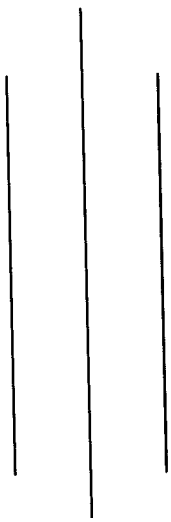

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

(क) सरकारी यात्रा के क्रम में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों, लोक उपक्रमों के अध्यक्ष / उपाध्यक्षों के लिए परिसदन/ निरीक्षण भवनों आदि में ठहरने के लिए आरक्षण में राजनैतिक दलों से उनकी सम्बद्धता के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा।

(ख) विभिन्न राजनैतिक दलों के पदधारकों/ विधायकों/ पंचायत निकायों के निर्वाचन से सम्बन्धित उम्मीदवारों को निरीक्षण भवन आदि में ठहरने के लिए आरक्षण सम्बन्धी अधियाचना प्राप्त होने पर समदर्शिता का भाव रखते हुए तथा राजनीतिक दलों से उनकी सम्बद्धता के आधार पर बिना किसी भेदभाव किये कमरे की उपलब्धता के आधार पर ''First come first serve'' की नीति के आधार पर आवंटन की कार्रवाई की जाएगी।

(ग) किसी भी परिस्थिति में केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्री / लोक उपक्रमों के अध्यक्ष/ उपाध्यक्षों / सांसदों/ विधायकों/ राजनैतिक दलों के पदधारकों को परिसदन/ निरीक्षण भवन आदि का उपयोग निर्वाचन सम्बन्धी सभा का आयोजन/ चुनाव प्रचार/ अभियान हेतु करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. साधारणतः चुनाव के समय जो भी सभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा मानी जानी चाहिए और उस पर कोई सरकारी व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

2- विकास योजनाओं के क्रियान्वन के लिए

(1) ऐसी सभी योजनाएं, जो पहले से ही स्वीकृत हैं और जिनपर कार्य प्रगति में है, का कार्यान्वयन होता रहेगा।

(2) इसी प्रकार ऐसी सभी योजनाएँ जो पहले से स्वीकृत हैं तथा जिनका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया था किन्तु निधि के अभाव में योजना अपूर्ण है और उसके लिए अब निधि उपलब्ध हो गयी है, उस सभी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सकता है।

(3) केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(4) ऐसी केन्द्रीय योजनाएँ जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्राप्त होती है, और जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है उन पर भी कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

(5) राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य के मुख्य पथों पर कार्य कराने में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(6) इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन पर कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

(7) राज्य प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

(8) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत पूर्व से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

निबंधित लाभार्थियों के लिए वैसी नई योजनाएँ निर्वाची पदाधिकारी को सूचना देते हुए आरम्भ की जा सकती हैं जो स्वीकृत योजनाओं की सूची में (shelf of projects) पूर्व से सूचीबद्ध हैं एवं जिनके लिए पूर्व से निधि कर्णांकित (earmarked) कर दी गयी है एवं क्षेत्र में लेबर की माँग है। जबतक चालू

योजनाओं में कार्य दिया जा सकता है तबतक कोई नई योजना सक्षम प्राधिकार द्वारा आरम्भ नहीं की जा सकेगी। shelf of projects की अनुपलब्धता अथवा इसमें उबलब्ध सभी योजनाओं के समाप्त हो जाने की स्थिति में संबंधित सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) से नई योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य आरम्भ कर सकता है।

(9) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि से स्वीकृत वित्तीय सहायता के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति तथा उनके कार्यान्वयन पर कोई पावन्दी नही रहेगी।

(10) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नई योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सकता है।

(11) आपात योजनाएँ यथा बाढ निरोधक योजनाओं, सुखा अथवा अभावग्रस्त क्षेत्र से संबंधित योजनाओं आदि को पंचायत निर्वाचन की अवधि में प्रारंभ करने में कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

(12) सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(13) सरकारी कार्यालयों की आधुनिकीकरण (जिसमें कम्प्यूटर तथा अन्य मॉडर्न गजट (Gadget) आदि चालू करना शामिल है) आदि पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगा।

(14) विकास योजनाओं से संबंधित निविदा आमंत्रित करने या उसके निस्तारण पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(15) पूर्व से स्वीकृत एवं क्रियान्वित हो रही योजनाओं को छोड़कर, ऐसी स्थानीय योजनाएँ जिनका कार्यानावयन पंचायतों द्वारा किया जाता है, और जो ऊपर (1) से (14) की उप कंडिकाओं में सामिल नहीं हैं, उन पर पावन्दी रहेगी।

(16) किसी भी परिस्थिति में किसी योजना को प्रारम्भ करने हेतु किसी प्रकार का अनुष्ठानिक कार्य, जैसे शिलान्यास आदि नहीं किया जाएगा; योजना का कार्यन्वयन संबंधित विभागों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सामान्य रूप से किया जाएगा।

(17) सरकार द्वारा उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अधीन यदि किसी योजना की स्वीकृति दी जाती है तो उसका संसूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी।

(18) राज्य में विकास से संबंधित कार्यकलापों की प्रगति को दर्शाते हुए किसी प्रकार का इश्तहार या विज्ञापनों का प्रसारण समाचार पत्रों या रेडियो/ टेलिविजन आदि के माध्यम से नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी:- विकास योजनाओं से तात्पर्य राज्य के विकास की सामान्य योजनाओं से है, न कि किसी समुदाय विशेष से संबंधित विकास योजनाओं से। ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य योजनाओं से मतलब सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, महिला एवं बाल कलयाण इत्यादि से संबंधित योजनाओं से है। किसी विशेष समुदाय के लिए छात्रावास, विद्यालय भवन निर्माण या अन्य प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ सामान्य विकास योजनाओं के तहत नहीं आयेंगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन, शिलान्यास अथवा उद्घाटन पर पूर्ण पावबन्दी रहेगी, चाहे ऐसी योजना शहरी क्षेत्र में हों अथवा ग्रामीण क्षेत्र में।